कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घी कला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844101
E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com

कार्यालय–आदेश

सुकृति कुमारी, विशिष्ट शिक्षक, उ0म0वि0, लगुराँव पूर्वी, राजापाकर, जिला–वैशाली का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति हेतु (प्रधानाध्यापक द्वारा अनुशंसित) अपने अभ्यावेदन के साथ जाँच रिपोर्ट एवं शपथ–पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें द्वितीय संतान हेतु **दिनांक–24.06.2026 से दिनांक–20.12.2026 तक कुल–180** दिनों तक का मातृत्व अवकाश का उपभोग करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में **सुकृति कुमारी, विशिष्ट शिक्षक, उ0म0वि0, लगुराँव पूर्वी, राजापाकर, जिला–वैशाली** द्वारा मातृत्व अवकाष की स्वीकृति हेतु दिए गए अभ्यावेदन एवं उसके साथ सलंग्न चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आलोक में **दिनांक–24.06.2026 से दिनांक–20.12.2026 तक कुल–180** दिनों की मातृत्व अवकाश का उपभोग करने की औपबंधिक रुप से अनुमति प्रदान की जाती है। बिहार सेवा संहिता की कंडिका–220 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में कुल–180 दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति उनके अवकाश से लौटने के उपरान्त सभी संगत अभिलेख यथाः–बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (सरकारी कार्यालय यथा नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत आदि से निर्गत)/चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (Fitness Certificate)/डिस्चार्ज सर्टिफिकेट/मातृत्व अवकाश में विद्यालय से प्रस्थान करने से पूर्व का अभ्यावेदन एवं मातृत्व अवकाश का उपभोग करने के पश्चात् विद्यालय में योगदान किए जाने से संबंधित अभ्यावेदन समर्पित करने के उपरान्त ही प्रदान की जाएगी।

सुकृति कुमारी, विशिष्ट शिक्षक, उ0म0वि0, लगुराँव पूर्वी, राजापाकर, जिला–वैशाली को उपरोक्त अवकाश की अवधि में नियमानुसार नियमित रुप से वेतन भुगतान देय होगा।

ह0/
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक 2471 / हाजीपुर, दिनांक 18/6/26 ।

प्रतिलिपि :– वरीय कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/HRMS अन्तर्गत वेतन भुगतान शाखा मेकर/चेकर, कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली/संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित प्रधानाध्यापक, चिन्हित मध्य विद्यालय/ प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, एवं **सुकृति कुमारी, विशिष्ट शिक्षक, उ0म0वि0, लगुराँव पूर्वी, राजापाकर, जिला–वैशाली** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.6.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
18/06/2026